Order Sheet

Case No 36 .9.0 Signature of Date of Parties or Order or proceeding with Signature of presiding Order or Pleaders where Proceeding necessary आवेदक / आंरोपी गांध ह के ली 22/211) की ओर से श्री यह व व विवान अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा0फो0 का पेश किया । नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये / संबंधित अभिलेख बुलाया जावे । आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे । प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक 23 21) को पेश हो। पी सी आर्थ विश्वेष न्यायाधीश (डकेती गौहद जिला- भिण्ड (म प्र 23/02/2017 आवेदक/आरोपी गजेन्द्रसिंह द्वारा श्री यजवेन्द्र 11:00 श्रीवास्तव अधिवक्ता । अनावेदक शासन द्वारा श्री बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित । अनावेदक द्वारा जमानत आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया है । आवेदक / आरोपी गजेन्द्रसिंह के आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया । आरोपी / आवेदक का कहना है कि वह अन्य मामलों में पुलिस चीनोर द्वारा दि0-31/05/2016 को जेल भेज दिया गया था, इसलिये इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका । इस कारण दि.—25/10/16 को उसके उपस्थित नहीं होने से उसके जमानत मुचलके निरस्त हुए हैं, वह न्यायिक अभिरक्षा में है, जमानत की शर्तों का पालन करेगा, नियमित प्रतिभूति बाबत महादेव का शपथपत्र पेश किया

विश्रेष न्यायाधीश (उ

गया है।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक द्वारा बताया गया कारण बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है अत उसका जमानत आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने पर आपित होना बताते हुए व्यक्त किया है कि आरोपी/आवेदक जमानत का लाभ लेकर दुबारा अनुपस्थित हो जायेगा, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक-25/05/2016 को आरोपी गजेन्द्रसिंह के अनुपस्थित हो जाने से उसके जमानत मुचलके निरस्त किए जाकर गिरफतारी वारण्ट से तलब किए जाने का आदेश दिया गया है। आवेदक / आरोपी गजेन्द्रसिंह ने अपनी अनुपस्थिति का जो आधार लिया है, उसके समर्थन में जमानत आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पेश किए हैं, जिनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दि0-30/05/2016 को आवेदक / आरोपी गजेन्द्रसिंह को थाना चीनौर जिला ग्वालियर के अपराध क0-125/2015 में गिरफतार किया गया था, उसके पश्चात उसे उक्त अपराध में न्यायिक निरोध में भेजा गया एवं उक्त अपराध में उसकी जमानत न्यायालय के उच्च आदेश दिनांक—13/02/2017 के नंबर-951 / 2017 माध्यम से हुई है। जिससे थाना चीनौर के उक्त अपराध में आवेदक / आरोपी गजेन्द्रसिंह का इस न्यायालय में जमानत जब्ती की दिनांक-25/10/2016 को निरोध में रहना प्रकट होता है।

दिनांक—23/01/2017 को आवेदक/आरोपी गजेन्द्रसिंह को प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में इस न्यायालय में पेश किया गया जिसमें उसकी उपस्थिति वांछनीय होने से उसे न्यायिक निरोध में लिया गया है। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य की स्टेज पर है, जिससे प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वाद विचार आवेदक/आरोपी गजेन्द्रसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र के माध्यम से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः जमानत आवेदनपत्र

Order Sheet [Contd]

Case No. 00 of 2017. 24

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

अंतर्गत धारा—439 जा.फौ. गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आवेदक / आरोपी गजेन्द्रसिंह की ओर से धारा—437 (3) जा.फौ. में उपबंधित शर्तों सिहत 50 हजार रूपये की सक्षम जमानत एवं 50 हजार रूपये का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे जमानत पर छोडा जावे। चूंकि आरोपी जमानत जब्त की दिनांक को न्यायिक निरोध में था इसिलये मुचलका जब्ती की कार्यवाही नहीं की जा रही है। जमानत में यह शर्त भी जोडी जावे कि यदि आवेदक / आरोपी गजेन्द्रसिंह किसी अन्य अपराध में जेल जाता है तब उसके परिजन इस न्यायलय में उपस्थित होकर सूचित करेगा।

आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाख्रिल रिकॉर्ड हो।

> (पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद,भिण्ड, म.प्र.